


# श्री सांवलियाजी मलदर लनयमां , 1991 (47)

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान</b> <b>राज-पत्र</b> <b>लव शेषांक</b>	<b>Regd.No. RJ.2539</b> <b>RAJASTHANGAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>सावधकार प्रकावशत</b>	<b>Published by Authority</b>
	<b>अग्रहायण 11, सोमवार, शाके 1913 - लदसम्बर 2, 1991</b> <b>Agrahayana 11, Monday, Saka 1913- December 2, 1991</b>	

## भाग-4 (ग)

### उप खण्ड (I)

### राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्रालधकाररयों द्वारा जारी लकये गये

(सामान्य अदेशों, ईप-विवधयों अवद को सवममवित करते हएु ) सामान्य काननी  
वनयम।ू

### देवस्थान लवभाग अलधसचनाू जयपरु , लदसम्बर 2, 1991

जी.एस.अर. 41:- श्री सांवलियाजी मलदर अध्यां देश 1991 (अध्यादेश सख्या  
ं 10, सन् 1991) की धारा 14, धारा 17, धारा 20 की ईप-धारा (2), धारा 21 की  
ईप-धारा (4), धारा 22, धारा 28 की ईप-धारा (3) की सपवित धारा 29 द्वारा प्रदत्त  
शवियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु , एतदद्वारु, ई अध्यादेश के प्रयोजनों  
को कायावन्ित करने के विए वनमनविवखत वनयम बनाती है, अथात्:-

### भाग-1

## 1. सलिप्त नाम तथा प्रारम्भां:-

1. ये वनयम श्री सांविद्याजी मं वदर वनयमं, 1991 कहियेंगे।
2. ये तरन्त प्रभां से िागु होंगे।

## 2. पररभाषायें:-

(1) आन वनयमों में, जब तक विषय या सन्दभा के विरूद्ध कोइ बात न हो:-

(क) “अध्यादेश” से तात्पया श्री सांवलियाजी मलदर अध्यादेशां , 1991 से ह।

(ख) “बजट” से तात्पया श्री सांविद्याजी मं वदर की प्रावियां तथा व्ययों के अंनं मान के ँ विरिण से ह।

(ग) “बेिेन्स शीट” से तात्पया श्री सांविद्याजीं मवदरं के बजट सतं िनु वचत्र (बेिेन्स शीट) से ह।

(घ) “बोडड” से तात्पया अध्यादेश की धारा 5 के अन्तगात स्थावपत एि गवित श्री सांविद्याजीं मवदरं बोर्ा से है वजसका कायाािय वचत्तौड़गढ़ वजिं में वस्थत मण्रविया ग्राम में होगा।

(ङ) “प्रपत्र” से तात्पया आन वनयमों के साथ िगे प्रपत्रों से ह।

(च) “धारा” से तात्पया अध्यादेश की धारा से ह।

(छ) “वषड” से तात्पया वदनाकं 1 अप्रेि को प्रारमभ ि अगामी वदनाकं 31 माचा को समाि होने िािे वित्तीय िषा से ह।

(ज) “सेवा” से तात्पया समस्त प्रकार की सेिा जो मवदरं की मवताू के समबन्ध में की जाती है अथि अन्य ईसमें स्थावपत अन्य पजाू अचाना अवद से ह।

(झ) “मलदरां लनलध” से तात्पया है श्री सांविद्याजीं मवदरं बोर्ा द्वारा प्रशावसत सांविद्याजीं मवदरं वनवध तथा आसमें समस्त रावशयां, चढ़ािा, भेंट तथा पजाू स्थि के िाभ के

विए वकया गया कोइ भी अन्य दान या अवभदाय से है तथा आसमें ऐसी रावश जो पजाू स्थि तथा मवदरं श्री सािवियाजी की सेिा पजाू के अधीन प्रयोजनों के विए की जाती भी आसमें सवममवित है।

(ज) “बोडड के अलधकारी तथा कमडचारी एव ां सेवकों” से तात्पया मख्यु कायापािक अवधकारी के ओिा ऐसे वकसी भी अवधकारी एि कमाचारी से है जो बोर्ा द्वारा वनयिु हो अथिा बोर्ा से अवधकृ त व्यवि द्वारा वनयिु हो, सवममवित है।

(ट) “मलदरां के आभूषणों” से तात्पया सोना, चादीं एि अन्य कीमती धातु के अभषणू , रत्नाभषणू तथा अन्य िस्तओु ंसे है जो मवताू को धारण कराये जाते हैं अथिा पजाू काया के प्रयोग में िाये जाते है।

(ि) “लनमाडण कायड” में श्री सािवियाजीं मवदरं बोर्ा द्वारा प्रशावसत सािवियां मवदरं पररसर तथा अन्य आमारत तथा आमारतों के वनमाण, मरममत, पररितान, पररिद्धान, सिद्धानं ि नये वनमाण काया तथा मवदरं के कृ वष एि वसचाइं समबन्धी काया जो मण्रविया अथिा मण्रविया के बाहर वकये जाते हैं एि दानदाताओु ं के द्वारा कराये जाने िािे वनमाण काया जो बोर्ा अथिा बोर्ा के द्वारा अवधकृ त अवधकारी की सहमवत से कराये जाते हों, अवद आसमें सवममवित है।

(2) आन वनयमों में प्रयि वकुन्त अपररभावषत शब्दों तथा अवभव्यवियों में िे ही अथिा होंगे जो ँ अध्यादेश में क्रमशः ईन्ह ेंसमनदेवशत वकये गये है।

(3) जब तक वक सदभा द्वारा अन्यथा अपेवित न हों , आन वनयमों के वनिाचन के विये राजस्थान साधारण खण्र अवधवनयम , 1955

(राजस्थान अवधवनयम 8, सन 1955) िैसे ही िाग होगा ू  
जैसे िह वकसी राजस्थान अवधवनयम के वनिाचन पर िाग होता  
हैू